दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19/12/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लुतु सुण्डी, पिता/पति–स्व० गोनो सुण्डी, ग्राम–बडा गुईरा, थाना–मुफफसिल, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– बडा गुईरा, थाना नं०– 666, खाता नं०–181, प्लॉट नं०–4022 एवं 4023, रकवा कमश – 0.14 एवं 0.11 कुल 0.25 एकड़ भूमि क्रेता लादुरा सुण्डी, पिता/पति–फिलिप कृष्णा सुण्डी, ग्राम–बडा गुईरा, थाना– मुफफरिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1266, दिनांक 16.12.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हल बैल खरीदने मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता लादुरा सुण्डी, पिता/पति–फिलिप कृष्णा सुण्डी, ग्राम– बडा गुईरा, थाना– मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल थाना** के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व /अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा **कर्मचारी** के आलोक में आवेदक **लुतु सुण्डी, पिता/पति–स्व० गोनो सुण्डी, ग्राम–बडा गुईरा, थाना–मुफ्फसिल, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता लादुरा सुण्डी, पिता/पति–फिलिप कृष्णा सुण्डी, ग्राम– बडा गुईरा, थाना–मुफ्फसिल, जिला पं० सिंहभूम के पास 1,32,500.00 (एक लाख बतीस हजार पांच सौ) रूपया में मौजा बडा गुईरा, थाना नं०– 666, खाता नं०–181, प्लॉट नं०–4022 एवं 4023, रकवा कमश – 0.14 एवं 0.11 कुल 0.25 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 19/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता 19/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता	

//D:/Ranjeet All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19/12/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **चक्रधर लागुरी**, पिता/पति– **स्व० चरण लागुरी**, ग्राम– **बालन्डिया**, थाना– **हाटगम्हारिया**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– बालन्डिया, थाना नं०– 424, खाता नं०– 37, क्रमशः प्लॉट नं०– 2609, 2610 क्रमशः रकवा– 0.21 एकड़, 0. 57 एकड़, कुल रकवा– 0.78 एकड़ भूमि क्रेता **विनयजीत कुंकल**, पिता/पति– **स्व० योगेन्द्र कुंकल**, ग्राम– **बालन्डिया**, थाना– **हाटगम्हारिया**, जिला प० **सिंहभूम** के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।	

अंचल अधिकारी, हाटगम्हारिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।**

अंचल अधिकारी, **हाटगम्हारिया** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 216, दिनांक 01.10.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **विनयजीत कुंकल**, पिता/पति– **स्व० योगेन्द्र कुंकल**, ग्राम– **बालन्डिया**, थाना– **हाटगम्हारिया**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **हाटगम्हारिया थाना** के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है।

अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हारिया एवं ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **चक्रधर लागुरी**, पिता/पति– **स्व० चरण लागुरी**, ग्राम– **बालन्डिया**, थाना– **हाटगम्हारिया**, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता **विनयजीत कुंकल**, पिता/पति– **स्व० योगेन्द्र कुंकल**, ग्राम– **बालन्डिया**, थाना– **हाटगम्हारिया**, जिला **पं० सिंहभूम** के पास 2,06,000.00 (दो लाख छः हजार) रूपया में **मौजा– बालन्डिया, थाना नं०– 424, खाता नं०– 37, क्रमशः प्लॉट नं०– 2609, 2610 क्रमशः रकवा– 0.21 एकड़, 0. 57 एकड़, कुल रकवा– 0.78 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की......अनुमति......दी जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 19/12

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 19/12/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

All Work // 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner